रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, सोमवार, मई 3, 1993/वैशाख 13, 1915
No. 7] NEW DELHI, MONDAY, MAY 3, 1993/VAISAKHA 13, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1993

का. नि. 393(अ).—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार दानापुर छावनी के वार्ड नं. III (सामान्य सीट) के रिक्त स्थान को भरने के लिए, 20 जून, 93 को आकस्मिक चुनाव की तिथि नियत करती है ।

[फाइल नं. 29/19/दानापुर/सी/डी ई/92/1230/93/डी (क्यू एण्ड सी)]
वी. पी. राजा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 1993

S.R.O. 8(E).—In pursuance of the powers conferred by sub-section (2) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 20th June, 1993 as the date on which casual election of ward No. III (General seat), Danapur Cantonment shall be held to fill up the vacant seat of that ward.

[F. No. 29|19|Danapur|C|DE|92|1230|93|D (Q&C)]

V. P. RAJA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1993

का. नि. आ. 9(अ).—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 16(2) के अन्तर्गत अधिसूचित 07 मार्च, 93 को हुए चुनाव में वार्ड नं. 2 से श्री जागीर सिंह और वार्ड नं. 4 से श्री गिरि राज को छावनी परिषद, सुबाथू के निर्वाचित सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फाइल सं. 29/54/सुबाथू/सी/डी ई/92/1414/93/डी (क्यू एण्ड सी)]

वी. पी. राजा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 1993

S.R.O. 9(E).—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies the election of Shri Jagir Singh from ward No. II and Shri Giri Raj from ward No. IV as members of Cantonment Board Subathu notified under section 16(2) of the Act for 7th March, 1993.

[File No. 29|54|Subathu|C|DE|92|1414|93|D(Q&C)]

V. P. RAJA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993